न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 19/2009 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. टीकचन्द पुत्र श्री गंगौला जाति जाट निवासी ग्राम खेड़ा मेदा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 10.08.2018

यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय दि0 02.09.1993 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम विकास अभियान 1993 में प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति कठूमर द्वारा पटवार घर हेतु प्रस्ताव तैयार कराये जाकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/राजस्व अभिलेख की प्रतियों सहित भूमि आवंटन आरक्षण के प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित जिला कलक्टर कार्यालय को प्रेषित किये गये है । प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई एवं राजस्व अभिलेख के परिशीलन किये जाने पर तथा तहसीलदार व प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति कठूमर की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम खेड़ा मेदा तहसील कठूमर जिला अलवर के ख0 नं0 414 रकबा 2 बिस्वा पटवार घर खेड़ा मेदा के लिए आरक्षित रखने के आदेश पारित किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर विवादित आराजी ख0 नं0 414 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम खेडा मेदा में आवंटन दि0 02.09.1993 को कर दिया जिस आदेश दि0 02.09.1993 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

10/8

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का अपील बहस में मुख्य तर्क यह है कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.1993 के आदेश की उनको जानकारी दि0 11.09.2009 को हुई तथा जानकारी के बाद अपील अपीलाट खिलाफ आदेश दि0 02.09.1993 पेश की है जिसके साथ दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं के आधार पर डिले कन्डोन किये जाने का निवेदन किया तथा गुणावगुण पर बहस करते हुए कहा कि जिला कलक्टर द्वारा गैर मुमकिन रास्ता को पटवार घर के लिए आरक्षित किया है, वह विधि सम्मत आदेश नहीं है । इस संबंध में उन्होंने कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2017 पेज 1070 सुखराम बनाम पन्नी देवी के केस निर्णय दिनांक 09.02.2017 का हवाला दिया और कहा कि पटवारघर खेड़ा मेदा के लिए ख0 नं0 241 रकबा 3.06 बीघा में से 10 बिस्वा तथा ख0 नं0 साबिक 414 रकबा 02 बिस्वा आरक्षित किया है । दोनों ही खसरा नम्बरान की दूरी अलग–अलग है । अतः एक पटवार घर दो अलग–अलग स्थानों पर कैसे बनाया जा सकता है । इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि ख0 नं0 414 रकबा 2 बिस्वा रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता है तथा अपीलांट के खातेदारी के ख0 नं0 413 में आने–जाने का रास्ता है । इसलिए जिला कलक्टर अलवर के आदेश दि0 02.09.1993 के संबंध में पारित आदेश को निरस्त करने की इस्तदुआ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब में कथन किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 414 रकबा 2 बिस्वा को दि0 02.09.1993 के आदेश से पटवार घर खेड़ा मेदा के लिए आरक्षित किया है । कानूनी नजीर इस प्रकरण पर अपीलांट की चस्पा नहीं होती है तथा साथ ही कहा कि आक्षेपित आदेश दि0 02.09.1993 का है तथा सन् 2009 में यह अपील पेश की है जो 16 वर्ष बाद पेश की है । अपील में अपीलांट के प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसलिए इस आधार पर भी अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

बहस गुणावगुण पर करते हुए राजकीय अभिभाषक का कहना है कि पूर्व के कानूनी प्रावधानों के अनुसार गै0मु0 रास्तें में भी मौके के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जा सकता है । कानूनी नजीर बहुत बाद की है तथा इस प्रकरण में गैर मुमकिन रास्ते पर खातेदारी चाही है । इसलिए यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है और तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । बहस, रेकार्ड व तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । साथ ही प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया । मौके पर नक्शा तैयार करने की जानकारी पर उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त होना बताया है । साथ ही 16 वर्ष बाद इस आदेश की अपील अपीलांट ने पेश की है तथा इतनी देरी के लिए जो कारण दर्शित किये हैं, वह डिले कन्डोन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । विभिन्न कानूनी नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक–एक दिन की देरी का अपील के लिए कारण अंकित करना होगा । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों तथा बहस से डिले कन्डोन अपील में स्वीकार्य नहीं है ।

2/1018

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है । अपीलांट ने तत्काल विधि के प्रावधानों के अनुसार गै0मु0 रास्तें में से सार्वजनिक हित या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन आरक्षित नहीं की जा सकती है इसं संबंध में कोई आदेश पेश नहीं किये हैं । अपीलांट ने यह नहीं बताया कि गै0मु0 रास्ते और पटवार घर के लिए आरक्षित जमीन दोनों ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नहीं होते हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट मियाद अधिनियम के बिन्दु पर गुणावगुण विवेचन उपरान्त खारिज की जाती है । विद्वान जिला कलक्टर अलवर का निर्णय दि0 02.09.1993 यथांवत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आंज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर